


हम ऐसे बने

(परिस्तर अध्ययन भाग - २)

पाँचवीं कक्षा



भारत का संविधान


भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य— भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह —

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;
- (घ) देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और बन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।



शिक्षा विभाग का स्वीकृति क्रमांक :

प्राशिसं/२०१४-१५/१४८/मंजूरी/ड-५०५/३४१ दिनांक २० जनवरी २०१५

हम ऐसे बने

(परिसर अध्ययन भाग - २)

पाँचवीं कक्षा



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे



आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R. Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R. Code में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक्-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रथमावृत्ति : २०१५

पुनर्मुद्रण : जुलाई २०२०

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११००४.

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

इतिहास विषय समिति :

डॉ. आ. ह. साळुंखे, अध्यक्ष
डॉ. सदानंद मोरे, सदस्य
प्रा. हरी नरके, सदस्य
अॅड. गोविंद पानसरे, सदस्य
श्री. अब्दुल कादिर मुकादम, सदस्य
डॉ. गणेश राऊत, सदस्य
श्री. मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

इतिहास विषय कार्यगट सदस्य :

डॉ. शुभांगना अत्रे
डॉ. मंजुश्री पवार
प्रा. देवेंद्र इंगले
प्रा. प्रतिमा परदेशी
प्रा. यशवंत गोसावी
श्री. संजय वडारेकर
श्री. राहुल प्रभू
श्री. संदीप वाकचौरे
श्री. मुरगेंद्र दुगाणी
श्री. अरुण हळ्बे
प्रा. मोहसिना मुकादम
डॉ. एस.आर.वड्डे

लेखिका :

डॉ. शुभांगना अत्रे

भाषांतर संयोजन :

डॉ. अलका पोतदार, विशेषाधिकारी, हिंदी
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे
सौ. संध्या विनय उपासनी, विषय सहायक, हिंदी
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

भाषांतरकार :

प्रा. शशी मुरलीधर निघोजकर

समीक्षक :

सौ. वृदा कुलकर्णी, मंजुला त्रिपाठी

विशेषज्ञ :

श्री प्रकाश बोकील, श्री हरीशकुमार खत्री

मुख्यपृष्ठ एवं सजावट :

प्रा. राही कदम

मानचित्रकार :

श्री रविकिरण जाधव

संयोजक :

श्री मोगल जाधव

विशेषाधिकारी

इतिहास व नागरिक शास्त्र

श्रीमती वर्षा कांबळे

विषय सहायक, इतिहास व नागरिक शास्त्र

पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

निर्मिति :

श्री सच्चितानंद आफळे
मुख्य निर्मिति अधिकारी
श्री प्रभाकर परब
निर्मिति अधिकारी
श्री शशांक कणिकदळे
निर्मिति सहायक

अक्षरांकन :

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज :

७० जी.एस.एम., क्रिमवोव्ह

मुद्रणादेश :

मुद्रक :

प्रकाशक :

श्री विवेक उत्तम गोसावी,
नियंत्रक, पाठ्यपुस्तक निर्मिति मंडळ,
प्रभादेवी, मुंबई-२५

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।

पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छ्वल जलधितरंग,

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप २००५’ और ‘बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-२००९’ के अनुसार महाराष्ट्र में ‘प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्चा २०१२’ द्वारा शालेय पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन शालेय वर्ष २०१३-१४ से क्रमशः प्रारंभ हुआ है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि तीसरी कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र और भूगोल विषय एकत्र रूप में परिसर अध्ययन भाग-१ में समाविष्ट रहेंगे तथा इतिहास विषय परिसर अध्ययन भाग-२ में स्वतंत्र रूप से समाविष्ट रहेगा। शासनमान्य पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम मंडल ने परिसर अध्ययन भाग-२ के लिए पाँचवीं कक्षा की प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक तैयार की है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें विशेष आनंद हो रहा है।

अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया बालकेंद्रित हो; स्वयं अध्ययन पर बल दिया जाए; छात्र प्राथमिक शिक्षा के अंत तक उचित क्षमताएँ प्राप्त करें; अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी हो; इस व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक तैयार की गई है।

‘इतिहास एक विज्ञान है’ यह बोध प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न हो; इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए पाठ्यपुस्तक की रचना की गई है। आदिमानव से लेकर आधुनिक मानव तक की उन्नति यात्रा में ‘प्रकृति’ और ‘परिसर’ इन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों से पाठ्यपुस्तक का प्रारंभ हुआ है। जब तक कालखंड की संकल्पना स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक इतिहास का आकलन होना कठिन होता है। अतः कालखंड की वैज्ञानिक संकल्पना आसान शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार साधनों का निर्माण किया। जलवायु में होने वाले परिवर्तनानुसार परिसर में भी परिवर्तन आए। अतः उसके बनाए गए साधनों का स्वरूप भी बदलता गया। ‘उन्नत बुद्धिमान मानव’ ने नगरीय संस्कृति का जो अत्यधिक विकसित चरण प्राप्त किया; उसे प्रागौतिहासिक कालखंड का चरम बिंदु माना जा सकता है। यहाँ से ऐतिहासिक कालखंड का प्रारंभ होता है। इस रूप में मानव की उन्नति यात्रा की जानकारी प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में दी गई है। पाठ के अंत में चौखटों में दी गई जानकारी के कारण विद्यार्थियों का अध्ययन अधिक परिणामकारक होगा। इस जानकारी पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना अपेक्षित नहीं है। शिक्षक और अभिभावकों के लिए अलग से सूचनाएँ दी गई हैं। स्वाध्याय ऊबाऊ न हों इसलिए स्वाध्यायों में विविधता लाने का प्रयास किया गया है। अध्यापन अधिक-से-अधिक कृतिप्रधान हो; इसके लिए बहुत सारी कृतियाँ और उपक्रम दिए गए हैं।

पाठ्यपुस्तक को अधिकाधिक निर्दोष और स्तरीय बनाने के लिए पुरातत्त्वविद डॉ.एम.के. ढवलीकर तथा महाराष्ट्र के कुछ शिक्षाविदों और विषयतज्ज्ञों द्वारा इस पुस्तक का समीक्षण कराया गया है। प्राप्त सुझावों और अभिप्रायों का ध्यानपूर्वक विचार कर प्रस्तुत पुस्तक को अंतिम स्वरूप दिया गया है। मंडल की इतिहास विषय समिति, कार्यगट सदस्य, लेखक एवं चित्रकार ने अत्यंत आस्था और परिश्रमपूर्वक इस पुस्तक को तैयार किया है।

आशा है कि विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का स्वागत करेंगे।




(चं.रा.बोरकर)
संचालक

पुणे : २७ नवंबर २०१४
दिनांक : ६ मार्गशीर्ष, शके - १९३६

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडल, पुणे

– शिक्षकों और अभिभावकों के लिए –

‘शिक्षा द्वारा जीवनविषयक बोध प्राप्त होना।’ इस रूप में ज्ञानरचनावाद शिक्षा पद्धति का सूत्र बताया जा सकता है। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षक द्वारा संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त होना; इतना ही इसमें अपेक्षित नहीं है अपितु उस जानकारी का संबंध विद्यार्थी के अनुभव विश्व से जोड़ा जाना आवश्यक माना गया है। यह साध्य होने के लिए स्वयं अध्ययन महत्वपूर्ण घटक है अर्थात् पाठ्यपुस्तक की प्रस्तुति और अध्यापन कार्य हेतु कक्षा का वातावरण स्वयं अध्ययन के लिए पोषक होना आवश्यक है। विद्यार्थियों के अनुभव में स्थित ज्ञानरचनावाद की प्रक्रिया सामान्यतः इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है।



उपरोक्त सभी घटकों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है।

- » विद्यार्थी स्वयं अध्ययन के लिए सजगता से उद्यत हों; इसके लिए एक मुद्रे में से दूसरा मुद्रा स्पष्ट हो और विद्यार्थियों की कुतूहल भावना को प्रेरणा मिले; इसका ध्यान रखने का प्रयास किया गया है।
- » इसी भाँति, पिछले पाठ से अगला पाठ संबद्ध करते हुए, उसकी जानकारी द्वारा सांस्कृतिक इतिहास के अनुभवों की अखंडित शृंखला विद्यार्थियों के मन में पिरोई जाए; इसका भी विचार किया गया है। यह करते समय विषय का वैज्ञानिक आधार बना रहे; इसका ध्यान रखा गया है।
- » ज्ञानरचनावाद शिक्षा पद्धति का अवलंब करने में सहायक होगी; ऐसी जानकारी और चित्र चौखटों में दिए गए हैं। इनका विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त जानकारी के रूप में उपयोग होगा। इस जानकारी पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना अपेक्षित नहीं है। शिक्षक और अभिभावक संदर्भ के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकेंगे।
- » पुस्तक का मुख्य पाठ्यांश और चौखटों में दी गई अतिरिक्त जानकारी की प्रस्तुति विशिष्ट पद्धति से की गई है। यह प्रस्तुति करते समय दृश्य सांस्कृतिक घटनाओं के लिए कारण बनने वाली प्रक्रियाओं का विचार किया गया है। इसी भाँति तर्कसंगत विचारों की अनुभूति हो; इस उद्देश्य से लेखन किया गया है। इसमें अधिकाधिक नवीनता लाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों की कल्पनाएँ उपयोगी सिद्ध होंगी। इसके द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका केवल जानकारी संक्रमित करने वाले तटस्थ व्यक्ति के रूप में न रहकर साथ चलने वाले और समान रूप से सहभागी रहने वाले मार्गदर्शक की होगी।
- » ज्ञानरचनावाद शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों का एक-दूसरे से संवाद स्थापित होना, उनकी अभिव्यक्ति को अवसर प्राप्त होना जैसी बातों का बहुत महत्व है। पाठ के घटकों पर आधारित उपक्रमों द्वारा यह संभव होगा। प्रत्येक शिशु स्वतंत्र बुद्धि लेकर जन्मता है। अतः विद्यार्थियों के छोटे समूह बनाकर प्रत्येक समूह को एक अलग उपक्रम देने और उन समूहों में विचार-विमर्श करवाने; इससे विद्यार्थियों में संवाद स्थापित करवाया जा सकता है। इसी भाँति उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास भी होगा। यही नहीं; अपितु किसी भी विषय के अनेक पहलू होते हैं; इसका अनुभव भी विद्यार्थियों को आसानी से होगा।
- » पाठों द्वारा विद्यार्थियों के ध्यान में आएगा कि परिसर और संस्कृति के बीच निकट का संबंध होता है; उपक्रमों द्वारा इस विषय से संबंधित उनके अनुभव अधिक स्पष्ट होंगे।
- » पाठ्यपुस्तक में पाठों के नीचे दिए गए प्रश्न नमूनों के प्रश्नों के रूप में हैं। मूल्यांकन निरंतर और सर्वांगीण रूप में हो; इसके लिए शिक्षक ऐसे प्रश्नों के आधार पर प्रश्न मंजूषा विकसित करें।

हम ऐसे बने (परिसर अध्ययन भाग – २) अध्ययन निष्पत्ति : पाँचवीं कक्षा

अध्ययन के लिए सुझाई हुई शैक्षणिक प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
<p>सभी विद्यार्थियों को अनुभवों का अवसर गुट/जोड़ी-जोड़ी से व्यक्तिगत रूप से देकर उन्हें निम्न बातों के लिए प्रेरित करना ।</p>	<p>विद्यार्थी –</p>
<ul style="list-style-type: none"> • विविध स्थलों की यात्रा या सैर करके एकत्रित की गई जानकारी के संदर्भ में सहपाठी, शिक्षक, जेष्ठों के साथ चर्चा करना और अनुभव-कथन करना । • परिसर के विविध विभाग/संस्था जैसे – बैंक, जल आपूर्ति विभाग, अस्पताल, आपदा निवारण केंद्र की क्षेत्रभेंट करके संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप करना तथा उनसे संबंधित संदर्भार्थ लगाना । • विविध प्रदेशों में, विविध कालखंडों के खाद्यान्न, निवास, जल उपलब्धता, भरण-पोषण के साधन, रुढ़ी, परंपरा, तंत्र ऐसे समाज जीवन की विविध बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चित्रों, वस्तुसंग्रहालयों को भेंट देना, जेष्ठों के साथ चर्चा इन पद्धतियों का इस्तेमाल करना । • रैन बसेरा, छावनी में रहने वाले लोग, वृद्धाश्रमों को भेंट देना, वृद्ध/दिव्यांग व्यक्तियों से संभाषण करना, जो अपने भरण-पोषण के साधन बदलते हैं उनसे संभाषण करना, लोगों का मूल स्थान कौन-सा है, जहाँ उनके पूर्वज वर्षों से रहते थे, वह प्रदेश उन्होंने क्यों छोड़ा ? लोगों के स्थलांतर और परिवेश के तत्सम प्रश्नों पर चर्चा करना । • उत्क्रांति की संकल्पना समझ लेना । • आदिमानव से आधुनिक मानव का विकास क्रम समझ लेना । • सबकी भलाई के लिए निस्वार्थ बुद्धि से कार्य करने वाले व्यक्ति के अनुभव तथा उनकी प्रेरणाएँ ज्ञात करना । 	<p>05.95B.01 दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं (भोजन, जल आदि) और उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा तकनीकी को समझते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न संस्थाओं (बैंक, पंचायत, सहकारी संस्थाएँ, पुलिस थाना आदि) की भूमिका तथा कार्यों का वर्णन करते हैं ।</p> <p>05.95B.02 वर्तमान तथा अतीत में हमारी आदतों/पद्धतियों, प्रथाओं, तकनीकों में आए अंतर का (सिक्कों, पेंटिंग, स्मारक, संग्रहालय के माध्यम) से तथा बड़ों से बातचीत कर पता लगाते हैं ।</p> <p>05.95B.03 अवलोकन और अनुभव किए गए मुद्दों पर अपने मत व्यक्त करते हैं । समाज में प्रचलित रीतियों/घटनाओं का संबंध समाज की बड़ी समस्याओं के साथ जोड़ते हैं । (जैसे – संसाधनों का उपयोग/स्वामित्व में भेदभाव, स्थलांतर, विस्थापन, बहिष्कृति और बाल अधिकार आदि से जोड़ते हैं ।)</p> <p>05.95B.04 मानव की उत्क्रांति के चरण (टप्पे) बताते हैं ।</p> <p>05.95B.05 आदिमानव से आधुनिक मानव के विकास की घटनाएँ ज्ञात करते हैं ।</p>

अनुक्रमणिका

पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१. इतिहास किसे कहते हैं ?	१
२. इतिहास और कालखंड की संकल्पना	६
३. पृथ्वी पर सजीव	१२
४. विकासवाद	१५
५. मानव की उन्नति	१९
६. अश्मयुग : पत्थर के हथियार	२५
७. आवास से लेकर गाँव - बस्ती तक	३०
८. स्थायी जीवन का प्रारंभ	३४
९. स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति	३९
१०. ऐतिहासिक कालखंड	४५

The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2014. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.